

पशुपालन विभाग – सम्बंधित सूचना जनपद–गोण्डा

संस्थाओं का विवरण

तहसील	विकास खण्ड	पशु चिकित्सालय	प0चि0अ0 का नाम एवं मो0 नं0	पशु सेवा केन्द्र	पशुधन प्रसार अधिकारी का नाम मो0 नं0
सदर	जनपद स्तर पर	1. मु.प.चि.अधिकारी 2. मुख्य तकनीकी अधिकारी	प्रभारी डॉ0 प्रकाश चन्द्र वर्मा 9839263643 प्रभारी डॉ0 आर0के0 प्रजापति 9415664653		श्री मो0 इमरान 9415488530
सदर	नगर पालिका परिषद	1. सदर 2. द' श्रेणी परसिया आझाराम	डॉ0 प्रकाश चन्द्र वर्मा 9839263643	3. चन्दवतपुर	श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव 9552848313 प्रभारी श्री मो0इरफान 9450061821
	झंझरी	3. ग्राम समूह खण्ड 4. सचल	प्रभारी डा0 ए0के0 शुक्ला 9648472603 प्रभारी डा0 दिलीप कुमार 9236102930	1. पोर्टरगंज 2. खोरहसा 3. धनईपट्टी 4. बहलोलपुर 5. ठडवरिया 6. केशवपुर पहड़वा	श्री कृपानन्द शुक्ल 9450039924 श्री आर.के. सिंह 9452689834 श्रीमती प्राची गुप्ता 8090802500 श्री सूर्य प्रकाश 9839695800 श्री मो0 इरफान9450061821 श्री सूर्य प्रताप सिंह 9984409626
		5. रामनगर तरहर 6. काजीदेवर	डॉ0 विवेक गुप्ता 9415880862 प्रभारी डॉ0 विवेक गुप्ता 9415880862	— —	— —
	पंड़रीकृपाल	7. इन्द्रापुर 8. गिलौली 9. विशुनपुर वैरिया	डॉ0 विजय शंकर सिंह पटेल 9453347300 डॉ0 राजेन्द्र पाण्डेय 9839658873 डॉ0 अवध नरायण कुशवाहा 9528725313	— — —	— — —
	रूपईडीह	10. रूपईडीह 11. खरगूपुर	डॉ0 आर.के. प्रजापति 9415664653 डॉ0 अजीत सिंह राना 9455301090	असिधा विशुनापुर	श्री धर्मराज—9935600373 श्री राधेश्याम

				भवनियापुर खुर्द	यादव-9451928668 श्री सेठपाल सिंह-9506140003
	मुजेहना	12. मुजेहना 13. भोरहा	प्रभारी डा0 विजय कुमार वर्मा 9838605824 डा0 पंकज सिंह 9793252492	1. मेईदूबे 2. कुतुबगंज 1. बैजपुर	श्री उमाकान्त श्रीवास्तव 9453503211 श्री दिनेश कुमार-9919124722 श्री अजय कुमार श्रीवास्तव 9415665065
	इटियाथोक	14. इटियाथोक 15. बाबागंज	प्रभारी डा0 अजीत सिंह राना 9455301090 डा0 विजय कुमार वर्मा 9338605824	बसालतपुर -	श्री प्रभाष कुमार-8400874606 -
तरबगंज	बेलसर	16. बेलसर 17. सिधौटी	डा0 टोडरमल 9452237571 डा0 अमरदीप सिंह 9412479636	1. दुर्जनपुर 2. उमरीबेगमगंज 3. भेंड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र	श्री राजीव त्रिपाठी-9838674858 श्री विजय कुमार पाण्डेय 9450522859 श्री विजय कुमार पाण्डेय 9450522859
	तरबगंज	18. तरबगंज	प्रभारी डा0 अमरदीप सिंह 9412479636	1. महाराजगंज 2. जमथा	श्री तरुण कु0 सिंह-991837723 श्री रामबहादुर तिवारी 9453582818
	नवाबगंज	19. नवाबगंज 20. तुलसीपुर माझा 21. शिवदयालगंज कटरा	डा0 धनन्जय मिश्र 9451483532 डा0 धनेष कुमार 9454667895 डा0 शशि कुमारी 9458477752	1. टिकरी	श्री मुक्तेश्वर प्रसाद चौहान 9839256792

	वजीरगंज	22. वजीरगंज 23. पिपरी	डा0 अजय कुमार सिंह 9451246772 डा0 राकेश कुमार वर्मा 9451138397	1. डुमरियाडीह 2. तुर्काडीहा 1. मझारा	श्री मोहम्मद रजा 9415665068 श्री विनोद कुमार मिश्रा 9415670023 श्री जितेन्द्र कुमार यादव 9450519160
करनैलगंज	करनैलगंज	24. भंभुवा 25. करनैलगंज	डा0 आर0के0 वर्मा 9453350730 डा0 आर0के0 वर्मा 9453350730	1. गौरा सिंहनापुर 2. कंजेमऊ	श्री शिवकण्ठ 9455462290 श्री दिनेश सिंह 9453647837
	कटराबाजार	26. कटराबाजार 27. कटुवानाला 28. रामापुर	डा0 राजेन्द्र प्रसाद दूबे 9450837587 डा0 कृष्ण मिश्रा, 8874829298 डा0 दिलीप कुमार 9236102930	1. देवापसिया 2. दुबहा बाजार	प्रभारी श्री गौरी शंकर पाण्डेय 9984574585 श्री गौरी शंकर पाण्डेय 9984574585
	हलधरमऊ	29. हलधरमऊ 30. बालपुर 31. द श्रेणी भुलभुलिया	डा0 जयप्रकाश 9412132052 डा0 एस0के0 शुक्ला 9648472603	1. बरांव 2. नहवा परसौरा 3. मैजापुर	श्री हसन अहमद 9450423790 प्रभारी हसन अहमद 9450423790 के0पी0 द्विवेदी 9452808614 प्रभारीके0पी0 द्विवेदी 9452808614
	परसपुर	32. परसपुर 33. पसका	डा0 एस0के0 सिंह 9415715909 प्रभारी डा0 एस0के0सिंह 9415715909	1. मंगुराबाजार	श्री द्वारिका नाथ पाण्डेय 9450283608

मनकापुर	मनकापुर	34. मनकापुर	डा0 आर0डी0 त्रिपाठी 9450058125	1. मछलीगांव	श्री धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव 9450195814
		35. मोतीगंज	डा0 रमेश यादव 9453394319	2. वीरेपुर	श्री जगप्रसाद तिवारी 9451043896
		36. छपिया	डा0 सूबेदार यादव 9918278884	3. सबरापुर	प्रभारी हरीशचन्द्र शुक्ला 9415771081
		37. परसातिवारी	डा0 सुनील कुमार सिंह 9415671891	4. बभनजोतिया	प्रभारी हरीशचन्द्र शुक्ला 9415771081
	बभनजोत	38. बभनजोत	डा0 श्री भगवान श्रीवास्तव 9450427602	1. हथियागड़	संतोष कुमार सिंह 9415517475
		39. अल्लीपुर	डा0 राज नरायन 9839726280		



(मुख्य पशु चिकित्साधिकारी)

गोण्डा

पशुपालन विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाएं—

1. पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं :

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 35 पशु चिकित्सालय एक ग्राम समूह खण्ड दो “द-श्रेणी” औषधालय 36 पशु सेवा केन्द्रों द्वारा पशुओं में पशु चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाएं के तहत विभिन्न प्रकार के बीमारियों का उपचार संस्था पर एवं आकस्मिक सेवाएं पशु पालाकों को प्रदान किया जाता है।

2. पशु प्रजनन एवं सम्बर्धन :

जनपद गोण्डा प्रदेश के उक्त प्रजनन नीति के अन्तर्गत पूर्वांचल क्षेत्र में आता है, इस योजना के तहत भैंसों में मुरा प्रजाति तथा स्वदेशी गायों में हरियाना, साहीवाल तथा विदेशी नस्लों में होस्टेज, फ्रीजियन, जर्सी एवं उनके क्रॉस को अपनाया जा रहा है।

भैंस : इस नीति के अन्तर्गत जनपद के भैंसों में मुरा सांडो के सीमेन से प्राकृतिक एवं कृत्रिम गर्भाधान (अतिहीमीकृत) पद्धति से गर्भाधान कराया जा रहा है। जिसका उद्देश्य देशी भैंसों को मुरा सीमेन से ग्रेडेड कराकर नस्ल सुधार सम्बर्धन करना है।

गाय : इस नीति के तहत गायों में नस्ल सुधार/सम्बर्धन हेतु हरियाना, साहीवाल, होस्टेज, फ्रीजियन तथा जर्सी एवं शंकर प्राजाति के वीर्य स्ट्रा से 64 विभागीय एवं 58 पैरावेट केन्द्रों के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान कराया जा रहा है। उपरोक्त नीति के अन्तर्गत वीर्य स्ट्रा सलोन रायबरेली, मझरा, लखीमपुर खीरी एवं चकगंजरिया लखनऊ से उच्च गुणवत्ता का वीर्य मगा कर पशुपालकों के द्वार पर एवं विभागीय संस्थाओं पर कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाएं निरन्तर प्रदान की जा रही है।

3. **संक्रामक रोगों का सुरक्षात्मक टीकाकरण :-** इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के संक्रामक बीमारियों के रोकथाम हेतु पूरे वर्ष पशुओं तथा पक्षियों में सघन रूप से टीकाकरण का कार्य प्रत्येक वर्ष कराया जाता है। जैसे—गला घोंटू (एच0एस0), खुरपका, मुंहपका (एफ0एम0डी0), लंगड़िया (बी0क्यू0), बकरियों में पी0पी0आर0, सूकरों में स्वाइन फीवर (एस0एफ0), कुक्कुटों में (एफ0पी0 एवं आर0डी0) तथा रैबीज रोगों से बचाव एवं उपचार हेतु ए0आर0बी0 (प्री—बाइट एवं पोस्ट बाइट)।

4. पशु बधियाकरण :- इस कार्यक्रम के अर्न्तगत अनुत्पादक नर पशुओं का बधियाकरण किया जाता है, जिससे निम्न स्तर के पशु उत्पन्न न हो सके।
5. बकरी, सूकर एवं भेड़ों में नैसर्गिक अभिजनन :- इस कार्यक्रम के अर्न्तगत जनपद में 18 बकरा केन्द्र हैं जिन पर बरबरी तथा जमुनापारी नस्ल के नर बकरों को रखकर प्राकृतिक गर्भाधान कराया जा रहा है। इसी प्रकार जनपद में 5 सूकर केन्द्र पर वाइट यार्क सायर नस्ल के नर सूकरों द्वारा प्राकृतिक गर्भाधान कराया जा रहा है। जनपद में मात्र दो मेढ़ा केन्द्र संचालित हैं। उक्त केन्द्र पर उच्च गुणवत्ता के मेड़ों को रखकर क्षेत्र में मेड़ा पालकों को प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा प्रदान की जाती है।
6. चारा विकास कार्यक्रम :- इस कार्यक्रम के अर्न्तगत रबी, जायद तथा खरीफ ऋतु में उच्चकोटि के प्रमाणित/आधारीय चाराबीज तथा मिनी किट मंगवाकर पशुपालक को वर्ष भर हरा चारा उपलब्ध कराने हेतु शुल्क तथा निःशुल्क प्राप्त कराया जाता है।
7. पैरावेट प्रशिक्षण :- इस कार्यक्रम के अर्न्तगत शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को शासन के नीति के अनुसार न्याय पंचायत स्तर पर चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है जिससे विभाग के टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण की सुविधाएं पशुपालकों को उनके द्वार पर उपलब्ध कराने हेतु स्वरोजगारी बनाया जाता है।
8. अम्बेडकर विशेष रोजगार योजनार्न्तगत :- इस कार्यक्रम के अर्न्तगत एकीकृत सूकर एवं बकरी पालन योजना चलाया जा रही है।
9. गोबध निवारण एवं गौ रक्षा कार्यक्रम :- इस कार्यक्रम के अर्न्तगत शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार गौ रक्षा अधिनियम के तहत सघन कार्यक्रम चलाया जा रहा है।




(मुख्य पशु चिकित्साधिकारी)

गोण्डा

पशु पालकों को विशेष सुविधाएं प्रदान करने हेतु निम्न केन्द्र कार्यरत हैं।

1	भेड़ा प्रजनन केन्द्र	—	पशु चिकित्सालय, कटराबाजार, पशु चिकित्सालय, बेलसर
2	सूकर प्रजनन केन्द्र	—	पशु चिकित्सालय, सदर पशु चिकित्सालय, परसपुर पशु चिकित्सालय, इटियाथोक पशु चिकित्सालय, मुजेहना पशु चिकित्सालय, मनकापुर
3	बकरा प्रजनन केन्द्र	—	पशु चिकित्सालय, मुजेहना पशु चिकित्सालय, बेलसर पशु चिकित्सालय, सदर पशु चिकित्सालय, बभनजोत पशु चिकित्सालय, बालपुर पशु चिकित्सालय, विशुनपुर बैरिया पशु चिकित्सालय, हलधरमऊ पशु चिकित्सालय, तरबगंज पशु चिकित्सालय, छपिया पशु चिकित्सालय, कटराबाजार पशु चिकित्सालय, इटियाथोक पशु चिकित्सालय, परसपुर पशु चिकित्सालय, मनकापुर पशु चिकित्सालय, रूपईडीह पशु चिकित्सालय, करनैलगंज पशु चिकित्सालय, काजीदेवर पशु चिकित्सालय, नवाबगंज पशु चिकित्सालय, वजीरगंज



(मुख्य पशु चिकित्साधिकारी)

गोण्डा

पशुपालन विभाग द्वारा लिया जाने वाला सेवा शुल्क


क्रमांक	सेवा का विवरण	सेवा शुल्क (रु0 में)
1	कृत्रिम गर्भाधान शुल्क :-	
	अ. मुख्यालय पर	30.00
	ब. पशु स्वामी के द्वार पर	40.00
2	प्राकृतिक गर्भाधान शुल्क :-	
	अ. गाय/भैंस	30.00
	ब. घोड़/गधा	55.00
	स. बकरा सांड	2.00
	द. सूकर सांड	1.00
3.	चिकित्सा शुल्क :-	
	अ. बड़े पशु	5.00
	ब. भेड़/बकरी/सूकर	2.00
	स. कुत्ता/बिल्ली	10.00
4.	टीकाकरण शुल्क :-	
	अ. एच0एस0	2.00
	ब. बी0क्यू0	2.00

	स. आर0डी0	0.50
	द. फाउल पाक्स	0.50
	य. स्वाइन फीवर	2.00
	र. इन्टरोटॉक्सीमिया	2.00
	ल. शीप पाक्स	2.00
	व. खुरपका-मुंहपका रोग	2.00 तथा वैक्सीन मूल्य
5.	बधियाकरण शुल्क :-	
	अ. मुख्यालय पर बड़े पशु	10.00
	ब. मुख्यालय पर छोटे पशु	5.00
	स. पशु स्वामी के द्वार पर बड़े पशु	15.00
	द. पशु स्वामी के द्वार पर छोटे पशु	7.00
6.	शव विच्छेदन शुल्क :-	
	अ. बड़े पशु गाय/भैंस/घोड़ा	30.00
	ब. छोटे पशु भेड़/बकरी/सकर	6.00
	स. कुक्कुट	2.50
7.	स्वास्थ्य परीक्षण :-	
	अ. बड़े पशु	15.00
	ब. छोटे पशु	5.00
8.	रोग निदान सेवायें :-	

	अ. रक्त की जांच	3.00
	ब. गोबर की जांच	2.50
	स. मूत्र की जांच	2.50

पशु चिकित्सालय की समय सारिणी प्रातः 8 बजे से अपरान्ह 2.30 बजे तक।

आकस्मिक सेवा 24 घण्टे निरंतर



(मुख्य पशु चिकित्साधिकारी)

गोण्डा

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत पशुपालन विभाग द्वारा चलाई जाने वाली योजनायें –

1. ब्रायलर पालन योजना :-

1. यह योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू है।
2. योजनान्तर्गत एक ब्रायलर पालन इकाई की सकल लागत रू0 45000/- है जिसमें विभाग द्वारा अनुदान 25 प्रतिशत रू0 11250.00 प्रति इकाई दिया जाना है।
3. लाभार्थियों का प्राथमिक चयन खण्ड विकास अधिकारी व पशु चिकित्साधिकारी द्वारा किसी भी वर्ग के बेरोजगार युवक /युवतियों का किया जायेगा।
4. अन्तिम चयन मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा किया जायेगा।
5. कुक्कुट पालन में रूचि रखने वाले ऐसे 10 लाभार्थियों का चयन जनपद में किया जायेगा।
6. चयनित लाभार्थियों को निकटमत पशु चिकित्सालय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कुक्कुट पालन विषय पर दिया जायेगा।
7. प्रति लाभार्थी को 262 चूजों का पालन करना होगा , आहार क्रय लाभार्थी द्वारा स्वयं किया जायेगा।
8. योजना की लागत

(अ) आवर्तक व्यय – कुक्कुट गृह निर्माण हेतु : 26250.00

उपकरण बर्तन आदि पर व्यय : 2250.00

योग : 28500.00

(ब) अनावर्तक व्यय – ब्रायलर चूजों का क्य	: 3144.00
आहार पर व्यय	: 12000.00
दवा आदि विविध व्यय	: 1250.00
चूजों के ट्रांसपोर्ट पर व्यय	: 106.00
योग	: 16500.0
अ और ब का कुल योग	: 45000.00

वित्त पोषण – बैंक ऋण 50 प्रतिशत	: 22500.00
लाभार्थी अंश 25 प्रतिशत	: 11250.00
विभाग द्वारा अनुदान	: 11250.00
कुल योग	: 45000.00

2. बकरी फार्मिंग यूनिट :

1. योजनान्तर्गत एक परिवार के एक लाभार्थी का चयन किया जायेगा।
2. लाभार्थी का प्राथमिक चयन पशु चिकित्साधिकारी ,ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव एवं पशुधन प्रसार अधिकारी के सहयोग से किया जायेगा।
3. अन्तिम चयन मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा किया जायेगा।

यूनिट की लागत – 68000.00

बकरी शेड का निर्माण – 13500.00

	पशु क्रय 20 मादा 1 नर	– 42500.00	}	68000.00
	राशन औषधि पर व्यय	– 12000.00		
4. वित्त पोषण –	बैंक ऋण 50 प्रतिशत पर	– 34000.00	}	68000.00
	लाभार्थी द्वारा 25 प्रतिशत	– 17000.00		
	विभागीय अनुदान 25 प्रतिशत	– 17000.00		

3. सूकर फार्मिंग यूनिट –

1. योजनान्तर्गत एक परिवार के एक लाभार्थी का चयन किया जायेगा।
2. लाभार्थी का प्राथमिक चयन पशु चिकित्साधिकारी, ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव एवं पशुधन प्रसार अधिकारी के सहयोग से किया जायेगा।
3. अन्तिम चयन मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा किया जायेगा।

	यूनिट की लागत – सूकर शेड निर्माण	– 12000.00	}	45300.00
	पशु क्रय 5 मादा 1 नर	– 12500.00		
	राशन औषधि व्यय	– 20800.00		
4. वित्त पोषण –	बैंक ऋण 50 प्रतिशत पर	– 22650.00	}	45300.00
	लाभार्थी द्वारा 25 प्रतिशत	– 11325.00		
	विभागीय अनुदान 25 प्रतिशत	– 11325.00		

पशुपालन विभाग द्वारा चलायी जाने वाली अन्य योजनाएँ –

1. अनुसूचित जाति हेतु बैकयार्ड पोल्ट्री कार्यक्रम :-

- लाभार्थी का प्राथमिक चयन अनुसूचित जाति वर्ग के महिला/पुरुष का ग्राम प्रधान के सहयोग से पशुचिकित्साधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- अन्तिम चयन मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिला पंचायत राज अधिकारी एवं मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- लाभार्थी उसी ग्राम का निवासी हो, निर्धन हो, अपने रहने की व्यवस्था हो तथा कुक्कुट पालन में रुचि रखता हो।
- लाभार्थियों को स्थानीय पशुचिकित्सालय पर सात दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- एक इकाई पर व्यय 2400/- रुपये का होगा, जिसका ब्रेक अपनिम्नानुसार है। जो विभाग द्वारा निःशुल्क देय होगा। इसकी वापसी नहीं होगी।

इकाई पर व्यय – छप्पर की व्यवस्था हेतु – 425.00	}	2400.00
50 चूजों के क्रय पर व्यय – 950.00		
50 कि०ग्रा० आहार पर व्यय – 900.00		
औषधि पर व्यय – 100.00		
यातायात पर व्यय – 25.00		

- उपरोक्त में से 425.00 रुपये लाभार्थी को नकद छप्पर की व्यवस्था हेतु दिया जायेगा।
- चूजा, आहार, औषधि की पूर्ति विभाग द्वारा की जायेगी।

2. रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री कार्यक्रम –

- यह योजना 100 प्रतिशत केन्द्र पोषित है। योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को अण्डे देने वाली मुर्गियों का पालन करवा कर परिवार के भोजन में पौष्टिकता बढ़ाना है।
- सभी जाति वर्ग के बीपीएल महिला/पुरुष लाभार्थी का प्राथमिक चयन पशु चिकित्साधिकारी व ग्राम प्रधान तथा खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- अन्तिम चयन मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- लाभार्थियों को 750/- चूजों को रखने के लिए छप्पर व आहार की व्यवस्था हेतु अनुदान के रूप में दिया जाता है जिसकी वापसी नहीं होगी।
- लाभार्थियों को 28 दिनों के 45 चूजे तीन चरणों में दिये जायेंगे।
- प्रथम चरण में 28 दिन के 20 चूजों –
- द्वितीय “ “ 15 चूजे, 4 माह बाद
- तृतीय “ “ 10 जूचे, 4 माह बाद

राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना

उ०प्र० पशुधन विकास परिषद के माध्यम से जनपद में 2008-09 से लागू

- योजना केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है।
- योजना में दूध देने वाली गाय एवं भैस सम्मिलित होगी जो वर्तमान में सूखी हो, दूध दे रही हो या गर्भित हों।
- बीमा प्रीमियम की राशि का 50% केन्द्र सरकार एवं 50% पशुपालक द्वारा वहन किया जाता है।
- योजना एक पशु के लिए न्यूनतम एक वर्ष अथवा अधिकतम तीन वर्ष हेतु लागू है।
- प्रति पशुपालक अधिकतम दो पशुओं को योजना में सम्मिलित किया जायेगा।
- अन्य योजना अन्तर्गत वीमित पशु को इस योजना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- पशु के विक्रय होने पर बीमा कम्पनी द्वारा 'पालिसी ट्रांसफर' की सुविधा है।

- वर्तमान में यूनाइटेड इंडिया इश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, 4-ई रामतीरथ मार्ग नरही, लखनऊ द्वारा योजना अन्तर्गत बीमा कार्य किया जा रहा है।
- बीमा प्रीमियम दरें निम्न हैं –

पशु का अनुमानित मूल्य		एक वर्ष हेतु	2.85%+ST 10.30%	तीन वर्ष हेतु	
		पशुपालक अंश	सरकार का अंश	पशुपालक अंश	सरकार अंश
10000	-	157=00	157=00	403=00	403=00
15000	-	236=00	236=00	604=00	604=00
20000	-	314=00	314=00	806=00	806=00
25000	-	393=00	393=00	1006=00	1006=00
30000	-	472=00	472=00	1208=00	1208=00
40000	-	628=00	628=00	1612=00	1612=00

शर्तें :-

- बीमा तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर होने वाला दावा देय नहीं है।
- पशु के कान का छल्ला गिर जाने पर तूमें तुरन्त बीमा कम्पनी को सूचना देकर नया छल्ला लगवाये छल्ला न होने पर दावा देय नहीं होगा।
- दुर्घटना बीमा में दुर्घटना होने पर एफ0आई0आर0 कराना चाहिए एवं बीमा कम्पनी को सूचना दें।
- पशु मृत्यु होने पर स्थलीय निरीक्षण हेतु बीमा कम्पनी को तरन्तु सूचित करें।

राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र

जनपद गोण्डा में राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र 80%+20% योजना के अन्तर्गत कार्य कर रहा है जिसकी पक्षी क्षमता 2000 पैरेन्ट पक्षी हैं। वर्ष 2010-11 में कुल 84289 अण्डों एवं 38663 चूजों का उत्पादन किया गया। वर्तमान समय में प्रक्षेत्र पर 1900 पैरेन्ट पक्षी चाब्रों ब्रायलर है, जिससे कि अण्डा एवं चूजा उत्पादन कार्य किया जा रहा है उत्पादित होने वाले चूजों को बैंकयार्ड योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के निर्बल व्यक्तियों को वितरण हेतु विभिन्न जनपदों को आपूर्ति किया जा रहा है। उक्त योजना के अन्तर्गत कुक्कुट पालन प्रशिक्षण भी दिया जाता है। उक्त योजना के अन्तर्गत एक House Disease investigation Lab का भी प्राविधान है, जो कि निकट भविष्य में क्रियाशील हो जायेगा जिससे कि गोण्डा जनपद के कुक्कुट पालाकों को अव्याधिक लाभ पहुंचेगा और गोण्डा जनपद में कुक्कुट विकास में बढ़ोत्तरी होगी।

एनिमल सम्बन्धी दवाओं के थोक विक्रेताओं की सूची

1. यूनाईटेड ड्रग हाउस, चौक बाजार, गोण्डा।
2. एअर फार्मा स्टेशन रोड, गोण्डा।
3. सोना एजेन्सीज, बड़गांव, गोण्डा।



(मुख्य पशु चिकित्साधिकारी)

गोण्डा

